

1

2

3

न्यायालय अपर समाहर्ता, खगड़िया ।
हकसफा अपील वाद संख्या -03 / 12
पवन भगत ----- अपीलार्थी

वनाम्
नारायण यादव व० अनिल भगत ----- उत्तरवादी

—:आदेश:—

4.12.12

अपीलार्थी पवन भगत पे० सरयुग भगत, ग्राम-कंजरी, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया ने नारायण यादव पे० स्व० भिखा यादव व० अनिल भगत पे० सरयुग भगत सभी ग्राम-कंजरी, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया तथा विपिन यादव पे० जगदेव यादव, ग्राम-मैना, थाना-सोनवर्षाराज, जिला-सहरसा को विपक्षी बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी द्वारा हकसफा वाद सं० - 05/2011-12 में पारित आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित व्यौरे की भूमि पर यह हकसफा अपील वाद दायर किया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा				चौहद्दी		
				वी०	क०	धूर	धूरकी	उ०	संजय वगैरह	गुप्ता
कंजरी	131	19	1505	00	02	00	00	द०	जय	किशुन
									यादव	व०
									कैलाश	यादव
								पू०	हिस्सेदार	पवन
								प०	बासो	भगत

अपीलार्थी पवन भगत कहना है कि वह आपस में दो भाई हैं और वादग्रस्त भूमि के पूर्वी चौहद्दी में अपीलार्थी हैं साथ ही हिस्सेदार भी हैं जबकि विपक्षी प्रथम पक्ष नारायण यादव न तो उपरोक्त भूखण्ड के चौहद्दीदार हैं और न ही हिस्सेदार हैं फिर भी निम्न न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए विपक्षी प्रथम पक्ष नारायण यादव के पक्ष में आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है ।

उनका आगे कहना है कि उपरोक्त 2क० 18धूर 15धूरकी जमीन में से विपक्षी द्वितीय पक्ष अनिल भगत ने विपक्षी प्रथम पक्ष नारायण यादव को 2क० जमीन बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 09.09.2011 द्वारा बिक्री कर दी है । शेष जमीन अपीलार्थी के हिस्से की बची रही । उनका कहना है कि नियमतः अंशधारी और चौहद्दीदार यदि जोत वाली जमीन लेना चाहता है तो विधि के अनुसार उन्हें ही बिक्री करना चाहिए परन्तु विपक्षी अनिल भगत ने ऐसा नहीं कर विपक्षी नारायण यादव को बिक्री कर दी है । निम्न न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया और उनका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया ।

उनका आगे यह भी कहना है कि अपीलार्थी पवन भगत व० विपक्षी अनिल भगत आपस में खास भाई हैं तथा दोनों के बीच कोई बँटवारा भी नहीं हुआ है । इसलिए वाद ग्रस्त भूमि के अपीलार्थी हिस्सेदार भी है तथा वहैसियत हिस्सेदार अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में अग्र क्रय हेतु वाद दायर किया था जिसे निम्न न्यायालय ने कानून की अनदेखी कर उनका वाद खारिज कर दिया । उनका यह भी कहना है कि विपक्षी नारायण यादव ने अपीलार्थी के हकसफा

(Handwritten mark)

दावा को पराजित करने के उद्देश्य से दिनांक-20.07.2011 को निबंधित दस्तावेज संख्या-2840 द्वारा अपने दामाद विपिन यादव को विवादित जमीन हस्तान्तरित कर दिया जो दस्तावेज महज जाली-फरेबी दस्तबज है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में उन्होंने विपिन यादव को भी पक्षकार बनाया था तथा उनके केवाला को फर्जी दस्तावेज होने का उल्लेख किया था परंतु निम्न न्यायालय ने इस दिशा में किसी प्रकार की जाँच-पड़ताल नहीं की तथा उनका हकसफा के दावा को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि विपिन यादव ने जिस प्रश्नगत जमीन का केवाला लिखवाया है उसमें वास डीड दर्शाया गया है जबकि 01 माह 11 दिन पूर्व नारायण यादव ने उसी प्रश्नगत भूमि को उत्तरवादी अनिल भगत से लिखाया जिसमें प्रश्नगत भूमि का किस्म जोत नगदी कायमी दर्ज किया है। इससे स्पष्ट है कि विपिन यादव को निष्पादित केवाला फर्जी है। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि विपिन यादव के नाम जो केवाला फर्जी है इस संदर्भ में P.L.J.R. 1998 का पृष्ठ सं०-337 में उद्धृत नियमन प्रति की निम्न न्यायालय में दाखिल किया था। साथ ही नारायण यादव द्वारा विपिन यादव को जो प्रश्नगत जमीन का जोत केवाला लिखा गया है उसका जरसम्मन की राशि 1,00,000.00 (एक लाख) ₹० दिखाया गया जबकि विपक्षी नारायण यादव ने उसी जमीन को मात्र 1 माह 11 दिन पूर्व 50,000 /- ₹० में खरीद किया था जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी ने एक दूसरे से साजिस कर अपीलार्थी के अग्रक्रय के दावा को पराजित करने के उद्देश्य से एक नाम निहादी केवाला सं०-280 विपिन यादव के नाम से फर्जी एवं शाम दस्तावेज निर्मित कर लिया है जो कानूनन अमान्य दस्तावेज है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक-27.12.2011 को खारिज करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी नारायण यादव ने अपना जबाब दाखिल करते हुए कहा है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र वैधानिक रूप से संधारित योग्य नहीं है। केवल उन्हें परेशान करने की नीयत से यह अपील वाद लाया गया है। निम्न न्यायालय ने सभी विन्दुओं पर विचार करते हुए यथार्थ आदेश पारित किया है। वर्तमान में विपक्षी सं०-1 नारायण यादव विवादित भूमि के स्थल पर नहीं है इसलिए पूर्वी चौहद्दी पर उनका नाम का उल्लेख करना तथा शेष भाग में अपीलार्थी का रहना कोई माने नहीं रखता है। वास्तव में अपीलार्थी ने सही बात को छुपाया है। अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रय का वाद सं०-05/2011-12 दाखिल करने के पूर्व ही विपक्षी सं०-1 नारायण यादव द्वारा कुल जमीन 2क0 में से 1क0 19धू0 जमीन विपिन यादव को 20.07.2012 को निबंधित केवाला द्वारा विक्री कर दी गयी थी तथा उन्हें दखल भी दिला दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अग्रक्रय का वाद सं०-5/2011-12 दिनांक-04.08.2011 को दायर किया गया था। स्पष्टतः अग्रक्रय का निम्न न्यायालय में वाद दायर करने के समय विवादित भूमि से संबंधित विपक्षी नारायण यादव का कोई सरोकार नहीं रहा है न ही इस अपील वाद में ही रहा। इस स्थिति में अपीलार्थी को विपिन यादव के विरुद्ध अपील वाद लाना चाहिए था। यद्यपि विपिन यादव के विरुद्ध भी वाद दायर करने पर यह संधारनीय नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलार्थी न तो अब चौहद्दीदार रहें न ही विपिन यादव के हिस्सेदार ही रहे।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी ने विपिन यादव के केवाला को फर्जी होने संबंधी चुनौती दी परंतु निम्न न्यायालय द्वारा इस पर कोई जाँच

1

2

3

नहीं लायी और बिना जाँचें ही इनका मामले को खारिज कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि विपिन यादव के उक्त केवाला को अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में फर्जी धोषित करने हेतु कोई वाद भी नहीं लाया गया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी केवल विपक्षी सं०-1 नारायण यादव के विरुद्ध प्रतिकार (relif) की प्रार्थना की है जबकि न तो वे अभी स्थल पर हैं न ही विवादित भूमि के दखलकार हैं बल्कि वर्तमान में विपिन यादव हैं। अपीलार्थी ने विवादित भूमि के 2क0 में से 1क0 19धू0 जमीन जो निम्न न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व ही विपिन यादव द्वारा खरीद कर ली गयी थी उसके संबंध में अपने आवेदन पत्र के चौहद्दीदार में विपिन यादव का नाम कहीं उल्लेख नहीं किया है और न वे अपीलार्थी विपिन यादव के हिस्सेदार हैं। इस प्रकार नारायण यादव के विरुद्ध वाद लाना नियमानुकूल नहीं है।


उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी का हकसफा वाद सं०-5/2011-12 का गहन विश्लेषण किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी ने अपने निर्णय में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में लाया है -


1. आवेदक (अपीलार्थी) द्वारा दिनांक-28.07.2011 को इस वाद को दायर करने हेतु संबंधित राशि मो०-55,000/- (पचपन हजार) रू० चलान द्वार जमा किया गया है एवं 04.08.2011 को वाद दायर किया गया है।
2. प्रतिवादी सं०-2 अनिल भगत से प्रतिवादी सं०-1 ने केवाला डीड सं०-1896/दिनांक- 09.06.2011 को प्रश्नगत जमीन क्रय की है।
3. इस प्रश्नगत डीड द्वारा खरीद की गयी जमीन पर आवेदक 28.07.2011 को कोषागार चलान से राशि जमा की है जबकि प्रतिवादी सं०-1 (नारायण यादव) द्वारा उक्त प्रश्नगत जमीन को केवाला डीड सं०-2840 दिनांक-20.07.2011 को विपिन यादव को निष्पादित कर बिक्री कर दी गयी है।
4. आवेदक को प्रतिवादी सं०-1 (नारायण यादव) द्वारा जमीन हस्तान्तरण के पूर्व ही वाद दायर करना चाहिए जो कि नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का दावा गलत प्रतीत होता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी ने उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक (अपीलार्थी) का आवेदन पत्र नियमानुकूल दाखिल होना नहीं पाकर प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय संबंधी आवेदन एवं दावा खारिज कर दिया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूकि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का द्वितीय क्रेता विपिन यादव को निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था जैसे कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र से स्पष्ट होता है तथा विपिन यादव द्वारा अपीलार्थी के अग्रक्रय वाद दाखिल करने के पूर्व ही प्रश्नगत भूमि का अंश भाग क्रय कर लिया गया था तथा उनको पक्षकार नहीं बनाया गया था बल्कि वाद दायर होने के बाद विपिन यादव को पक्षकार बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है इसलिए इसे बहाल रखा जाता है तथा अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
खगड़िया।


अपर समाहर्ता,
खगड़िया।